

4/8/11

वकील/पार्सी उपरिखण्ड। यह पार्सिक पत्र पार्सी ह्रास पार्सिक
पत्र 251A R-TA के साथ पेश किया है। पार्सिक पत्र 251A
कोई वाद नहीं है। एसी रिपोर्ट से इस पार्सिक पत्र पर
पार्सी किसी अनुसूचक का अधिकारी नहीं पचा जाय। यह
पार्सिक पत्र 1/5 212 R-TA स्वयं निरस्त किया जाय
है। पत्रावली में माल सुभाष होकर नम्बर 6 कर है।

ह

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

